भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

(आयुवद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2244

11 दिसम्बर, 2015 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

औषधीय पौधों पर जीएम फसलों का प्रभाव

2244. श्री दुष्यंत चौटाला:

क्या **आयुवद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष)** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयुर्वादिक प्रयोजनाथ प्रयोग किए जाने वाले औषधीय पौधों की कुछ विभिन्न जंगली प्रजातियों पर आनुवंशिक रूप से संवर्धित (जीएम) फसलों के संभावित प्रतिकूल प्रभाव का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश म औषधीय पौधों पर जीएम फसलों के प्रभाव का कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या ह; और

(घ) सरकार द्वारा जीएम फसलों के नकारात्मक प्रभाव से दुलभ औषधीय पौधों के संरक्षण हेतु क्या उपचारात्मक कारवाई की गई है?

उत्तर

आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (घ): विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कायरत जैव प्रौद्योगिकी विभाग देश म जैव प्रौद्योगिकी कायक्रमों की योजना, संवधन और समन्वय के लिए कद्रीय बिंदु है।

पयावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की नियमावली 1989 के अधीन जैव सुरक्षा विनियामक दिशा-निदर्श और मानक प्रचालन प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हुए आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) सभी फसलों का उनकी जंगली किस्मों पर प्रभाव सहित भोजन, चारा और पयावरण सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक आकलन किया जाता है। किसी भी आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल की खेती करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाती जब तक उस पर जैव सुरक्षा और पयावरण की दृष्टि से अनापत्ति नहीं मिल जाती।

देश म आनुवंशिक रूप से संशोधित किसी भी औषधीय पादप को खेती के लिए अनुमोदित नहीं किया गया है। अभी तक सरकार को आयुर्वादिक उद्देश्यों के लिए उपयोग म लाए जाने वाले औषधीय पादपों की जंगली किस्मों पर आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के प्रतिकूल प्रभाव की न तो कोई रिपोट प्राप्त हुई है और न ही इस संबंध म कोई अध्ययन किया गया है।

*****